रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 610] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

IndiaCode

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 769(अ).—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

(1) इन विनियमों को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 8 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :—

"8. निष्पादन बांड

(1) धारा 17 की उप-धारा (1) के परंतुक में उल्लिखित केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन तथा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की स्वीकृति कम्पनी को तभी जारी की जाएगी जब यह कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की अनुमानित परियोजना लागत के 1% या निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित पूर्ण परियोजनाओं के लिए परियोजना पंजीकृत लागत के 1% या 20 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के बराबर की राशि का एक निष्पादन बांड प्रस्तुत करेगा तथा यह विनियम 4, 17, 18 या 19 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी पाइपलाइनों पर लागू होगा :

परन्तु यदि पाइपलाइन क्षमता का उसकी प्राधिकृत क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक तक विस्तार किया जाता है तो निष्पादन बांड को वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जाएगा और उसे निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा बशर्ते कि कुल अधिकतम सीमा तीस करोड़ रुपए हो ।

स्पष्टीकरण—यदि विनियम 10 के अनुसार वित्तीय समाप्ति के पूरा होने और तत्पश्चात् परियोजना पूंजीकृत लागत के आधार पर अनुमानित परियोजना लागत में परिवर्तन होता है तो निष्पादन बांड की राशि में उपर्युक्त आधार पर संशोधित किया जाएगा । जब कभी पाइपलाइन प्रणाली में वृद्धि या विस्तार हो तो संशोधित परियोजना पूंजीकृत लागत को ध्यान में रखा जाएगा । प्रारम्भ में निष्पादन बांड तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा कम्पनी द्वारा इसका नियत तारीख से कम से कम एक माह पूर्व परियोजना की आर्थिक आयु तक तीन से पांच वर्षों के अगले ब्लॉक के लिए नवीकरण किया जाएगा ।

(2) निष्पादन बांड उप-विनियम (3) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की समय पर स्थापना करने की गारंटी देने तथा परियोजना के

प्रचालन चरण के दौरान कम्पनी द्वारा सेवा बाध्यताओं को पूरा करने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निर्धारित किया गया है । बोर्ड द्वारा निष्पादन बांड को सभी पाइपलाइनों के लिए उसी ढंग से भुनाया जाएगा जैसा कि बोली प्रक्रिया के अंतर्गत विनियम 14(1) में निर्धारित किया गया है ।

(3) कम्पनी को प्राकृतिक गैस पाईलाइन परियोजना की स्थापना के लिए अनुमोदन देने की तारीख से छत्तीस महीने की अधिकतम अवधि, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान की जाएगी । तथापि, यदि बोर्ड यह मानता हो कि विलंब के कारण परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली कम्पनी के नियंत्रण से परे हैं, तो बोर्ड निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से उपयुक्त दृष्टिकोण अपना सकता है, और कुछ विस्तार अवधि भी प्रदान कर सकता है जो वह परियोजना की स्थापना के लिए उचित समझता हो'' ।

[फा. सं. एस-प्रशा./11/8/2009-खण्ड-I]
रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 340(अ) दिनांक 6 मई, 2008 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात् इनमें सा.का.नि. 802(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 2008 द्वारा संशोधन किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely :—

(1) These Regulations may be called the Petroleum and Natural Gass Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, for regulation 8, the following shall be substituted, namely :—

"8 Performance bond.

(1) Acceptance to the grant of authorization given by the Central Government referred to in proviso to sub-section (1) of Section 17 and grant of authorisation by the Board under Section 19 of the Act shall be issued to the entity after it furnishes a performance bond of an amount equal to 1% of the estimated project cost for the project under execution or 1% of the project capitalized cost for the completed projects rounded off the nearest lakh rupees or Rs. 20 crores, whichever is less and it shall be applicable to all pipelines authorized under regulation 4, 17, 18 or 19 :

Provided that in case the pipeline capacity is expanded for more than fifty per cent of its authorized capacity, the performance bond shall be increased in proportion to the increase and shall be rounded off to the nearest lakh rupees subject to a total celing of Rs. thirty crores.

Explanation—The amount of the performance bond shall be revised by applying the above basis in case the estimated project cost undergoes a change on completion of the financial closure as per regulation 10 and subsequently based on the project capitalized cost. Whenever there is expansion or extention of the pipeline system the modified project capitalized cost shall be taken into account. The performance bond shall be initially valid for a period of three to five years and shall be renewed by the entity for the next block of three to five years, at least one month before the due date, upto the economic life of the project.

(2) The performance bond has been prescribed for guaranteeing the timely commissioning of the proposed natural gas pipeline as per the targets laid down in sub-regulation (3) and also for meeting the service obligations by the entity during the operating phase of the project as the case may be. The performance bond shall be encashed by the Board for all pipelines in the similar manner as prescribed under regulation 14(1) under the bidding process.

(3) The entity shall be allowed a maximum period of thirty six months from the date of grant of authorization for commissioning of the natural gas pipeline project as the case may be. However, if the Board is of the opinion that the reasons for delay are beyond the control of the entity implementing the project, the Board may take an appropriate view in a fair and transparent manner, and may aslo allow certain extension period which it may deem fit for the commissioning of the project".

[F. No. S-Admn/II/8/2009-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Foot Note :— The principal regulation were notified *vide* No. G.S.R. 340(E), dated 6th May 2008 and subsequently amended vide No. G.S.R. 802(E), dated 19th November, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.